झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–335 वर्ष 2017

1. अनास्तासिया करकेट्टा, पत्नी–जेरोम कुल्लू, निवासी–प्रेम नगर, हटिया, हेसाग, डाकघर–हटिया, थाना–जगन्नाथपुर, जिला–रांची (झारखण्ड)

2. क्रिसटिना बाडिंग, पत्नी–हाबिल टोपनो, निवासी–प्रेम नगर, हटिया, हेसाग, डाकघर–हटिया, थाना–जगन्नाथपुर, जिला–रांची (झारखण्ड)

3. मोदेस्ता तिर्की, पत्नी–पास्कल टोप्पो, निवासी–प्रेम नगर, हटिया, हेसाग, डाकघर–हटिया, थाना–जगन्नाथपुर, जिला–रांची (झारखण्ड)

4. अदलाईन नौरंगी, पत्नी–रोम्मेल रिचर्ड, निवासी–प्रेम नगर, हटिया, हेसाग, डाकघर–हटिया, थाना–जगन्नाथपुर, जिला–रांची (झारखण्ड)

.... याचिकाकर्त्तागण

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य

2. सचिव, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, डाकघर–धुर्वा, थाना–जगन्नाथपुर, जिला–रांची (झारखण्ड)

3. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग, प्रोजेक्ट भवन, डाकघर–धुर्वा, थाना–जगन्नाथपुर, जिला–रांची (झारखण्ड)

4. जिला शिक्षा अधीक्षक, रांची, डाकघर–जी0पी0ओ0, थाना–कोतवाली, जिला–रांची (झारखण्ड)

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमाथ पटनायक**

याचिकाकर्त्ताओं के लिए :– मेसर्स अमित कु0 दास और अमृतांशु सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए :– एस0सी0–II का जे0सी0

04/07.02.2017 तत्काल रिट आवेदन में, याचिकाकर्त्ता ने अन्य बातों के साथ–साथ वैधानिक ब्याज के साथ देय राशि पर अनुपयुक्त छुट्टी के लिए छुट्टी नकदीकरण के भुगतान के लिए उत्तरदाताओं को रिट/निर्देश के लिए प्रार्थना की है क्योंकि याचिकाकर्त्ताओं को इसका भुगतान नहीं किया गया है।

2. तथ्य, जैसा कि रिट आवेदन में खुलासा किया गया है, यह है कि याचिकाकर्त्ताओं को वर्ष 1978, 1988, 1982 और 1988 में क्रमशः सेंट जोसेफ मिडिल स्कूल, हेसाग, हटिया, रांची में सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और 30.09.2014, 31.07.2015, 30.04.2012 और 31.08.2015 को क्रमशः सेवानिवृति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत हुए। विचाराधीन स्कूल जहां से याचिकाकर्त्तागण सेवानिवृत हुए, एक सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक मिडिल स्कूल है और विचाराधीन स्कूल के कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृत लाभों के भुगतान की दिशा में सभी खर्च सरकारी खजाने से राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित और निधित किया जा रहा है।

3. पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

4. याचिकाकर्त्ताओं के विद्वान अधिवक्ता यह स्वीकार करते हैं कि याचिकाकर्त्ताओं की शिकायत बहुत संकीर्ण कम्पास में निहित है और डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0 506, 509 और

512 वर्ष 2013 में पारित इस न्यायालय के निर्णय से पूरी तरह से आच्छादित है। जहां तक अवकाश नकदीकरण के भुगतान के लिए मुद्दा है, याचिकाकर्त्तागण एक सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक मिडिल स्कूल के सेवानिवृत कर्मचारीगण हैं और यह मुद्दा अनिर्णीत विषय नहीं है, इस न्यायालय के द्वारा मरियम तिर्की बनाम झारखण्ड राज्य और अन्य में पारित किए गए निर्णय के मद्देनजर जो (2014 (1) जे0बी0सी0जे0 465) में रिपोर्ट की गई और अब माननीय उच्चतम न्यायालय के स्पेशल लीव टू अपील (सी) संख्या (एस) 20606–20607/2014 में पारित दिनांक 15.12.2014 के निर्णय द्वारा पुष्टि किया गया। तद्नुसार, याचिकाकर्त्ताओं को छुट्टी नकदीकरण राशि के भुगतान के लिए दिए गए निर्णय के मद्देनजर रिट याचिका का निपटान किया जा सकता है। याचिकाकर्त्ताओं ने प्रतिवादी सं0 4 को अनुलग्नक–5 श्रृंखला के द्वारा अपने संबंधित अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं, लेकिन उक्त अभ्यावेदन पर आज तक कोई कारवाई नहीं हुई है।

5. उत्तरदाताओं के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान एस0सी0– II के जे0सी0 ने इस बात पर विवाद नहीं किया है कि गैर–सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल के शिक्षकों को देय अवकाश नकदीकरण राशि से संबंधित उपरोक्त मुद्दा जो मरियम तिर्की (ऊपर) के मामले में दिए गए निर्णय द्वारा तय किया गया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है।

6. पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, ऐसी परिस्थितियों में, रिट याचिका को याचिकाकर्त्तागण के संबंधित सेवा रिकॉर्ड की उचित जांच के बाद छुट्टी नकदीकरण राशि देने के मामले में याचिकाकर्त्ता की ओर से अभ्यावेदन के साथ आदेश की

एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से बारह सप्ताह की अवधि के भीतर मरियम तिर्की (ऊपर) के मामले में दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए प्रतिवादी संख्या 4 को निर्देश देते हुए, निस्तारण किया जाता है।

7. तद्नुसार, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(प्रमाथ पटनायक, न्याया0)